डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068

Web: **www.dfccil.com**

No. 2019/HQ/Admin/RTI-856

New Delhi: 08.01.2020

Sh. Mahendra Singh
S/o Late Sh. Rewati Ram
R/o Village Bhikanpur
Post & Tehsil-Etmadpur
District-Agra
Mobile-9193989382

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 16.12.19 received in this office on 19.12.19.

आपके उपरोक्त आरटीआई आवेदन के संबंध में जानकारी संलग्न है। चूँकि आप गरीबी रेखा के अंदर आते है इसलिए आपका Rs. 10/- आपको इस पत्र के साथ वापस कर रहे है.

अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है;

श्री सतीश कोठारी, जीजीएम / प्रशासन DFCCIL,

5 वीं मंजिल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, नई दिल्ली -110001

स. कु. पण्डा

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

DA: 04 sheets

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

दिनांक:- 04.01.2020

TDL/EN/RTI/212 (A)

Dy. GM/Admin.(PIO)
डी० एफ० सी० सी० आई० एल०
नई० दिल्ली,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री महेंद्र सिंह पुत्र रेवतीराम, ग्राम- भीकनपुर, तहसील एत्मादपुर जनपद- आगरा, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- I आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र संख्या 2019/HQ/ADMIN/RTI-856 दिनांक 20.12.2019 मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय में पत्र प्राप्ति दिनांक 20.12.2019 ईमेल द्वारा.
II इस कार्यालय के ई-मेल दिनांक 20.12.2019.
III महाप्रबन्धक/सिविल/टूंडला के पत्र स. TDL/EN/RTI/फर्ज़/212(A) दिनांक 01.01.2020.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I,- के तहत सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री महेंद्र सिंह पुत्र रेवतीराम, ग्राम- भीकनपुर, तहसील एत्मादपुर जनपद- आगरा, का पत्र प्राप्त हुआ इसकी जानकारी हेतु, महाप्रबन्धक/सिविल/टूंडला को सूचित किया गया। सन्दर्भित पत्र सं. III, के तहत महाप्रबन्धक/सिविल/टूंडला के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजी जा रही है।

नवीन कुमार चड्ढा 04/01/2020
(नवीन कुमार चड्डा)
(परियोजना प्रबन्धक/संकेत एवं दूर संचार/टूंडला)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:-
1. मुख्य महाप्रबन्धक/टूंडला को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक/सिविल/टूंडला को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/विधुत/टूंडला को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/FRZ/212(A) **Dated: 01.01.2020**

सेवा में,
उप मुख्य परियोजना प्रबंधक / विघुत
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
टूण्डला / आगरा।

विषयः–जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करायें जाने के सम्बंध में।

सन्दर्भः– 2019/HQ/ADMIN/RTI-856 Newn Delhi Dated 20.12.2019
पत्र संख्या–499 / अ0जि0भू0अ0 / आगरा / दिनांक 15.11.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषय में आपको अवगत कराया जाना है कि जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाही गई जानकारी निम्नलिखित है।

डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना के निर्माण हेतु रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 अर्न्तगत जारी मौलिक पात्रता 2011 में प्रभावित भू–स्वामी जो कि सीमान्त कृषको की श्रेणी में आते है, को पुनर्वास अनुदान 750 दिन की मजदूरी के बराबर देय सहायता लाभ राशि का भुगतान कराये जाने का प्रावधान है।

भू–स्वामी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र रेवतीराम की भूमि का अधिग्रहण उपरान्त इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से जमा की गई कुल भूमि के तहसील रिर्पोट के आधार पर भुगतान हुत अग्रेतर कार्यवाही कर कार्यालय अपरजिलाधिकारी भू0अ0, आगरा के यहॉ भुगतान की कार्यवाही हेतु भेजी गई, जिस पर कार्यालय अपरजिलाधिकारी भू0अ0, आगरा के द्वारा जाचोपरान्त पाया गया कि भू–स्वामी **श्रीं महेन्द्र सिंह पुत्र रेवतीराम कुल भूमि रकवा 0.6342 हे0** अवशेष हैं, जो कि सीमान्त श्रेणी से अधिक है। इसलिए भुगतान की कार्यवाही किया जाना सम्भंव नही है। जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

धन्यवाद।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

01/01/2020
(सदेंश श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक / सिविल
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0
टूण्डला / आगरा।

Office Of Chief General Manager:- 3/20, 3rd Floor, KPS Tower,Mayur Complex,Nagla Padi, Near Tulsi Cinema, NH-02,Agra -282002
Telefax: 0562-2850325 E mail,abkhare@dfcc.co.in,
Website www.dfccil.gov.in

Arvind Verma Month Jan 2020

22/11/19

URGENT

22/11/15

DY.PM-I/ENG/TDL
DY.PM-II/ENG/TDL
DY.PM-III/ENG/TDL
APM/ENG/TDL
APM/TRAFFIC/TDL
AUTOCAD OPERATOR
PA-II

प्रेषक,

सक्षम प्राधिकारी/
अपरजिलाधिकारी (भू0अ0)
आगरा।

सेवा में

महाप्रबन्धक/सिविल
डीएफसीसीआईएल
टूण्डला/आगरा।

पत्र संख्या 428 /अ0जि0भू0अ0/आगरा/ दिनांक 15/11/ 2019

विषय :— राष्ट्रीय पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति 2007 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भू स्वामियों को 750 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर देय लाभ राशि के भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके द्वारा सन्दर्भित परियोजना हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के फलस्वरूप भूमिहीन/सीमान्त श्रेणी में आये भू स्वामियों को 750 दिन की कृषि मजदूरी भुगतान किये जाने हेतु ग्राम भीकनपुरबाकलपुर तहसील एत्मादपुर में अर्जित भूमि से प्रभावित काश्तकारों में से 16 काश्तकारों के भुगतान प्रपत्र तैयार कर इस कार्यालय में प्राप्त कराये गये थे। आपके द्वारा प्राप्त कराये गये भुगतान प्रपत्रों यथा काश्तकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं खतौनी में दर्ज भूमि का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपके द्वारा सीमान्त कृषक सूची में अंकित काश्तकार की अर्जन के उपरान्त अवशेष भूमि में भिन्नता पायी गयी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	काश्तकार का नाम	डीएफसीसीआईएल द्वारा भुगतान प्रपत्र में अवशेष दर्शायी गयी भूमि	जॉचोपरान्त अर्जन के पश्चात अभिलेखों के अनुसार काश्तकार के स्वामित्व की अवशेष पायी गयी भूमि
1	हरप्रसाद पुत्र भगवन्ता	0.3921 हे0	0.6805 हे0
2	रमेशचन्द पुत्र भगवन्ता	0.3921 हे0	1.1615 हे0
3	दिवारीलाल पुत्र रेवतीराम	0.1220 हे0	0.6342 हे0
4	महेन्द्रसिंह पुत्र रेवतीराम	0.1220 हे0	0.6342 हे0
5	बाबूराम पुत्र उमराव	0.2440 हे0	1.1495 हे0
6	कृष्णकान्त पुत्र ग्यासीराम	0.4874 हे0	0.8644 हे0
7	रामप्रकाश पुत्र ग्यासीराम	0.4874 हे0	0.8644 हे0

सन्दर्भित प्रकरण में आपके विभाग द्वारा सीमान्त कृषकों की उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित 16 काश्तकारों में से जॉचोपरान्त 05 काश्तकारों के प्रपत्र सही पाये जाने के फलस्वरूप उनको 750 दिन की कृषि मजदूरी के बराबर देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त 07 काश्तकारों पर सीमान्त श्रेणी में निर्धारित भूमि से अधिक भूमि होने के कारण उनका भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है तथा सूची में दर्ज 03 काश्तकारों की अर्जित भूमि के फलस्वरूप अवशेष भूमि एवं अर्जन के उपरान्त उनकी भूमि श्रेणी अंकित नहीं की गयी है। 01 काश्तकार द्वारा बैंक खाता आदि की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसलिए भुगतान की कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त ग्राम में उपरोक्त वर्णित काश्तकारों के अतिरिक्त अन्य काश्तकार जिनको कृषि मजदूरी का भुगतान किया जाना है उन काश्तकारों की भूमि का अभिलेखीय परीक्षण कराकर भुगतान प्रपत्र तैयार कर भेजे जाने का कष्ट करें ताकि उनको कृषि मजदूरी की देय धनराशि का भुगतान किया जा सके।

भवदीय

(निधि श्रीवास्तव)
सक्षम प्राधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
आगरा।

पत्र संख्या /अ0जि0भू0अ0/आगरा/ दिनांक 2019

प्रतिलिपि 1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

सक्षम प्राधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
आगरा।

Chief Project Officer/TDL
Dedicated Freight Corridor Corp. of India Ltd.
22 NOV 2019
RECEIVED